उपखण्ड अधिकारी
[redacted] (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 92/2021

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
शंकराराम पुत्र केशराराम जाति भील, निवासी रामपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. हीराराम पुत्र गोमाराम 2. पुराराम पुत्र गोमाराम 3. गंगादेवी पत्नी गोमाराम 4. खेराजराम पुत्र उदाराम 5. मोटाराम पुत्र उदाराम जाति जाट, निवासी बलाउ हाल निवासी रामपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक, आर.एम.जी.बी. शाखा शिव 7. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 21.06.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 537/458 रकबा 0.8094 हैक्टेयर मौजा रामपुरा, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 10.3599 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जब विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में चारों ओर काश्त कर लेने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने हेतु अवरोध एवं बाधा उत्पन्न होती है। तब प्रार्थी को रास्ता कटाण करवाने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे ग्रेवल सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है, जिसमें रास्ते हेतु खसरा नम्बर 457 कुल रकबा 10.3599 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की लम्बाई 60 गट्ठा एवं चौड़ाई 04 गट्ठा है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 457 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिसमें विप्रार्थी संख्या 1 से

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
जिला-बाड़मेर

 उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

5 खातेदार है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 457 कुल रकबा 10.3599 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट प्रार्थी एवं विप्रार्थी की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है। उक्त रास्ते की लम्बाई 60 गट्ठा एवं चौड़ाई 04 गट्ठा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 537/458 रकबा 0.8094 हैक्टेयर मौजा रामपुरा, पटवार मण्डल कोटड़ा तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्राथी संख्या 1 से 5 के खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 10.3599 हैक्टेयर में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)